

**STATEMENT-VII - SCHEDULE OF RATES OF TAXES/ELECTRICITY & WATER TARIFF/USER CHARGES ETC.**

**COMMERCIAL DEPARTMENT**  
**WATER TARIFF**

**RETAIL WATER TARIFF EFFECTIVE FROM BILLING CYCLE AUGUST 2009**

<b>A. Category-I (Domestic) Metered Water Connections</b>	
<b>1</b>	<b>Fixed monthly access charges (service Charges)</b>
i) Up to 200 Sq. meters premises	Rs. 40/- per connection per month
ii) Above 200 Sq. meter premises	Rs. 120/- per connection per month
<b>2</b>	<b>Volumetric Water Consumption Charges</b>
Water Consumption	Charges per kilo liter per month
Up to 6 kl above 6 kl & up to 20 kl above 20 kl & up to 30 kl above 30 kl	0 Rs. 2/- Rs. 7/- Rs. 10/-
	} Plus 50% towards sewerage maintenance
<b>B. Category II ( Non Domestic)</b>	
<b>1</b>	<b>Fixed monthly access charges (service Charges)</b>
for all premises	Rs. 250/- per connection per month
<b>2</b>	<b>Volumetric Water Consumption Charges</b>
Water Consumption	Charges per kilo
Up to 25 kl above 25 kl & up to 50 kl above 50 kl	Rs. 10/- Rs. 20/- Rs. 30/-
	} Plus 50% to
<b>C. Category III ( Non Domestic)</b>	
<b>1</b>	<b>Fixed monthly access charges (service Charges)</b>
for all premises	Rs. 600/- per connection per month
<b>2</b>	<b>Volumetric Water Consumption Charges</b>
Water Consumption	Charges per kilo liter per month
Up to 25 kl above 25 kl & up to 50 kl above 50 kl & up to100 kl above 100 kl	Rs. 15/- Rs. 25/- Rs. 35/- Rs. 50/-
	} Plus 50% towards sewerage maintenance

**Water Cess:** In addition water cess charges @ 2 Paise per kilo liter per month shall continue to be recovered from all category of consumers.

**Bulk connections provided to Colony/Group Housing Society/ Multi Storey Flats:-** Water charges shall be worked out as per residential unit wise at domestic rates applicable from time to time. Where area of flat/premises is not known, all flats used for residential purposes shall be charged service charges of Rs.40/- per month per dwelling unit and independent houses and bungalows Rs. 120/- per month per connection.

**विवरण-VII कर की दरों/विद्युत एवं जल दर/प्रयोग प्रभार आदि की अनुसूची**

**वाणिज्य विभाग**

**जल-शुल्क दर**

बिलिंग चक्र अगस्त 2009 से प्रभावी फूटकर जल पर शुल्क प्रभार

क्र.	श्रेणी-1 (घरेल) मीटर जल कैनेक्शन	
1	निर्धारित मासिक जल पहुँच प्रभार सेवा प्रभार)	
	I) 200 मी. तक के परिसर	40/- ₹0 प्रति कैनेक्शन प्रति मास
	II) 200 मी. से बढ़े परिसर	120/- ₹0 प्रति कैनेक्शन प्रति मास
2	स्वैच्छिक जल खपत प्रभार	
	जल खपत	प्रभार प्रति कि.ली. प्रति मास
	6 कि.ली. तक 6 कि.ली. से अधिक एवं 20 कि.ली. तक 20 कि.ली. से अधिक एवं 30 कि.ली. तक 30 कि.ली. से अधिक	0 ₹0 2/- ₹0 7/- ₹0 10/- } जमा 50 प्रतिशत सीवर प्रणाली रखरखाव
ख.	श्रेणी-2 (गैर घरेल)	
1	श्रेणी-2 (गैर घरेल) मीटर जल कैनेक्शन	
	सभी परिसरों के लिए	250/- ₹0 प्रति कैनेक्शन प्रति मास
2	स्वैच्छिक जल खपत प्रभार	
	जल खपत	प्रतिमाह प्रति किलो लीटर प्रभार
	25 कि.ली. तक 25 कि.ली. से अधिक एवं 50 कि.ली. तक 50 कि.ली. से अधिक	0 ₹0 2/- ₹0 30/- } जमा 50 प्रतिशत
ग.	श्रेणी-3ा (गैर घरेल)	
1	श्रेणी-1 (घरेल) मीटर जल कैनेक्शन	
	सभी परिसरों के लिए	600/- ₹0 प्रति कैनेक्शन प्रति मास
2	स्वैच्छिक जल खपत प्रभार	
	जल खपत	प्रति कि.ली. प्रभार प्रति मास
	25 कि.ली. तक 25 कि.ली. से अधिक एवं 50 कि.ली. तक 50 कि.ली. से अधिक एवं 100 कि.ली. तक 100 कि.ली. से अधिक	₹0 15/- ₹0 25/- ₹0 35/- ₹0 50/- } जमा 50 प्रतिशत सीवर प्रणाली प्रभार

जल उपकर: इसके अतिरिक्त 2 पै0 प्रति कि.ली. प्रति मास का जल उपकर प्रभार सभी कर्मियों के उपभोक्ताओं से वसूल किया जाना जारी रहेगा।

कालोनी/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बहु तत्वीय फ्लैटों को प्रदत्त थोक करेक्शन: जल प्रभार समय-समय लागू घरेलू क्षेत्र के अनुसार आवासीय इकाई के सुधार अब फिर किये जायेंगे। जहाँ फ्लैट/परिसर का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है, वहाँ आवासीय फ्लैटों/वासियों के 40/- ₹० प्रति मास प्रति रिहायशी इकाई के रूप है एवं स्वतंत्र भवनों एवं बंगलों में 120/- ₹० प्रति मास प्रति करेक्शन की दर से प्रभार प्रभारित किये जायेंगे।